न्यायालय, भूमि सुधार उप समहार्त्ता, बुण्डू (राँची)

दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–21 / 2018–19

देवन्ती देवी..अपीलार्थी

बनाम

अंचल अधिकारी, बुण्डू..प्रतिवादी

आदेश की क्रम सं. एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी टिप्पणी तारीख सहित
26.06.18	अपीलार्थी देवन्ती देवी, पति–मोहन महतो, ग्राम–ताऊ, डाकघर–बुण्डू, थाना–बुण्डू, जिला–राँची ने अंचलाधिकारी, बुण्डू के द्वारा नामांतरण मुकदमा सं०–264 R27 / 2017–18 / बुण्डू में दिनांक–08 / 05 / 2018 को पारित आदेश के विरूद्ध यह अपील दायर किया है। जिसके द्वारा निम्न भूमि का नामांतरण अस्वीकृत किया गया।	

भूमि विवरणी

मौजा	थाना / थाना सं०	खाता सं०	खेसरा सं०	रकवा
ताऊ	बुण्डू / 0027	02	1586	85 डीसमील

अपीलार्थी का कहना है कि उपरोक्त भूमि का ऑन लाईन में कोई त्रुटि नहीं है, अंचल कार्यालय द्वारा रसीद कटते आ रहा है। अंचल कार्यालय में दाखिल खारिज हेतु समर्पित आवेदन में त्रुटि पाये जाने पर नामांतरण अस्वीकृत किया गया। अपीलार्थी द्वारा इस वाद में समर्पित निम्न न्यायालय का नामांतरण मुकदमा सं०–264 R27 / 2017–18 / बुण्डू में दिनांक–08 / 05 / 2018 को पारित आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। अंचल अधिकारी, बुण्डू के प्रतिवेदनानुसार आवेदन में खाता संख्या त्रुटिपूर्ण है साथ ही संलग्न वंशावली अस्पष्ट है एवं राजस्व कर्मचारी ने प्रतिवेदित किया है कि आवेदित भूमि से संबंधित खेसरा ऑनलाईन द्रष्टव्य नहीं है। अतः इस स्थिति में नामांतरण अस्वीकृत किया गया है। अपीलार्थी द्वारा समर्पित दस्तावेजों के अवलोकनोपरांत ज्ञात होता है कि आवेदन में त्रुटि होना मानवीय भूल है एवं तकनीकी कारणों से संबंधित भूमि के खेसरा का ऑनलाईन द्रष्टव्य नहीं होने के कारण नामांतरण अस्वीकृत किया गया है।

अतः उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर अपीलार्थी के आवेदन को स्वीकृत किया जाता है एवं अंचलाधिकारी, बुण्डू को निदेशित किया जाता है कि उक्त तकनीकी भूल सुधार करते हुए अपीलार्थी को सुनकर उनके द्वारा समर्पित दस्तावेजों की पूरी तरह से जाँच पड़ताल करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत आदेश पारित करें। — 367(iii)/CT 27.06.18

इस आदेश की प्रतिलिपि को अंचल अधिकारी, बुण्डू को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

Sd/- 26/06/18
भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
बुण्डू(राँची)।

Sd/- 26/06/18
भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
बुण्डू(राँची)।